न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–काना राम आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–109/2023 विविध(धारा 235 आरटीएक्ट)

मुंशी राम पुत्र कुन्दन लाल जाति जाट निवासी 3 एस.पी.एम. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर, जिला हनुमानगढ़।
2. रेशमा पुत्री कुन्दन लाल पत्नी भूप सिंह जाति जाट निवासी बनवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।
3. फुली देवी पत्नी कुन्दन लाल जाति जाट निवासी बनवाला तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा।

––अप्रार्थीगण

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर प्रकरण संख्या 476/2020(35/2012) अनवानी प्रकरण रेशमा आदि बनाम भादरराम आदि।

उपस्थितः–1. श्री हिमांशु कौशिक, एडवोकेट–अप्रार्थी 02 ता 03।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः–07.02.2024**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के यहां वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर चक 3 एस.पी.एन.ए. के प. नं. 217/425 किला नं. 11 ता 13, 18 ता 23 की 9 बीघा प. नं. 217/425 किला नं. 16 ता 19, 22 ता 25 की 8 बीघा प. नं. 217/426 किला नं. 2 ता 9, 13 ता 19, 23 ता 25 की 15 बीघा 14 बिस्वा व प. नं. 219/426 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 23 की 14 बीघा 14 बिस्वा कुल 47.08 बीघा अनकमाण्ड भूमि दर्ज कागजात पटवार थी उक्त भूमि वादीगण के पिता कुन्दन लाल की कृषि भूमि थी। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 3 बहिस्सा के हक व हिस्सा खातेदार कृषक है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अपने हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 साज बाज कर उक्त सम्पूर्ण भूमि को अपने स्वयं के नाम करवा लिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय कर दी उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बहिस्सा बराबर के कानून हक व हिस्सा के अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने साज बाज कर उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को अपने स्वयं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया है इससे वादीगण के अधिकारों का हनन हो रहा है इस कारण वादीगण इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति प्राप्त करने के अधिकारी है उक्त भूमि में वा[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बहिस्सा बराबर के खातेदार कृषक है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 [illegible] में [illegible] आ चुकी है तथा अपने नाम से भूमि दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि का विक्रय [illegible] है यदि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपने मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण को [illegible] क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी प्रकार सम्भव नहीं है। इसलिए वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को रहन बैय व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने से निषेध रहे। भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहिस्सा बराबर की होने पर वादीगण अच्छी मन्दी के हिसाब से भूमि पाने के अधिकारी है। इस प्रकार वाद पेश कर निवेदन किया की उक्त वादग्रस्त आराजी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा के खातेदार घोषित किया जावे व अच्छी मन्दी के हिसाब से भूमि का विभाजन किया जाकर भू–राजस्व अलग अलग कायम किया जावे। जिस पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई उसी अनुरूप अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौका हालातों को देखे बगैर ही प्रकरण का निर्णय करने पर उतारू है।

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित आकर यह कथन करता रहा है कि प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है इसलिए इस प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जावे ताकि पक्षकारान को न्याय मिल सके। प्रार्थी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए पीठासीन अधिकारी से कई बार निवेदन कर चुका है व इस हेतु काफी आर्थिक व मानसिक क्षति कारित हो रही है अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्डाधिकारी रावतसर द्वारा जो जलदबाजी की जा रही है जिससे आने वाली पीढियों को मुकदमें बाजी बढेगी चूँकि अप्रार्थी संख्या 1 के यहां इतनी बार निवेदन करने के उपरांत भी प्रार्थी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 राजनैतिक परिवेश की व्यक्ति है अप्रार्थी संख्या 1 जो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के दवाब में इस प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निर्णित ना करते हुये उनके द्वारा बताये गये आधार पर करने के कौशिश में है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के यहा न्याय मिलने की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर के यहां जैरकार वाद को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर के यहां विचाराधीन प्रकरण अनवानी रेशमा आदि बनाम भादरराम आदि प्रकरण संख्या 476/2020 (35/2012) को किसी अन्य निकटतम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया व सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, रावतसर से तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। वकील प्रार्थी को बार–बार आवाज लगवाई गई हाजिर नहीं।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 ने जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 01 में वर्णित तथ्य स्वीकार है कि अप्रार्थी ने न्यायालय सहा. कलक्टर, एवं उपखण्ड अधि., रावतसर के समक्ष वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधि. पेश होना स्वीकार है जिसमें विचारण न्यायालय के समक्ष 10.05.2022 से विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.03.2017 के अनुसार तहसीलदार हल्का रावतसर से विभाजन प्रस्ताव आने के पश्चात प्रकरण में अन्तिम निर्णय होना है। प्रार्थना पत्र की धारा 02 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार अंकित किऐ गए है अस्वीकार है। प्रार्थी मुंशीराम वगैरा प्रतिवादीगण के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2023 पर बाद सुनवाई आपत्ति, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है एवं प्रकरण में तलबी हेतु पेशी मुकर्रर की गई है जिससे स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। अप्रार्थीगण औरतजात है इसलिए उन्हे न्याय से वंचित करने के उद्देश्य से उक्त राजस्व वाद को एक लम्बे समय तक चलाए रखने के आश्य से यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं. 02 ता 03 ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ वृद्ध व गरीब महिलाएं है तथा उनकी कोई राजनैतिक पैठ नहीं है। अप्रार्थीगण भाई–बहिन है एवं प्रार्थी अप्रार्थीगण की भूमि अवैध तौर से हड़प करने के उद्देश्य से उन्हे शीघ्र न्याय ना मिले इस हेतु प्रश्नगत भूमि के विधि सम्मत तरीके से विभाजन में विलम्ब कर रहे है। अप्रार्थीगण औरतजात है [illegible] न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो वहां आकर पैरवी करने में असुविधा होगी तथा उस [illegible] आर्थिक भार बढेगा। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी संख्या 02 ता 03 [illegible] बहस में कथन किया है कि विचाराधीन प्रकरण को प्रार्थी जानबूझकर लम्बित रखकर अधिनस्थ [illegible]लय में विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र निस्तारण में देरी [illegible] के उद्देश्य से बहस हेतु बार–बार समय मांगा जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण [illegible] जो आक्षेप अंकित किये है वे निराधार, मनघडंत एवं झूठे है। अप्रार्थीगण औरतजात है

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

उनका प्रकरण अगर अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो वहां आकर पैरवी करने में असुविधा होगी तथा उस पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय पर जो आक्षेप अंकित किये है वे झूठे व निराधार है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर की टिप्पणी अनुसार वर्तमान में पत्रावली प्रतिवादी सं. 06 ता 14 के जवाब/तलबी पर विचाराधीन है। प्रकरण में मौका हालात को देखते हुए नये पक्षकार बनाये गये जिनको जवाब आदि हेतु अवसर दिये गये। प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर ही अग्रिम तारीख पेशी या प्रकरण में कोई भी कार्यवाही उनकी उपस्थिति में ही की जा रही है। प्रकरण में माननीय न्यायालयों के निर्णयाधीन एवं नियमानुसार ही कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रश्नगत विचाराधीन प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट. के तहत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट. के तहत, को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के सम्बन्ध में है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर की टिप्पणी का अवलोकन करने से उनके द्वारा किसी भी दबाव में कार्य नहीं किया जाना पाया गया। वर्तमान में पत्रावली प्रतिवादी सं. 06 ता 14 के जवाब/तलबी पर विचाराधीन है। वाद पत्र अभी तक अन्तिम निस्तारण की स्थिति में भी नहीं है। प्रकरण में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनकर ही अग्रिम तारीख पेशी या प्रकरण में कोई भी कार्यवाही उनकी उपस्थिति में ही की जा रही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में वर्तमान पीठासीन अधिकारी व अप्रार्थी 02 ता 03 के विरूद्ध जो आक्षेप अंकित किये गये है वे निराधार, मनघडंत हैं। प्रार्थी द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर के न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत प्रकरण में देरी करने के उद्धेश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी 02 ता 03 औरतजात है प्रकरण अगर अन्य न्यायालय में अन्तरित किया जाता है तो वहां आकर पैरवी करने में असुविधा होगी एवं अनावश्यक खर्च बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढत साबित होते है तथा प्रार्थी द्वारा वाद पत्र को मुन्तकिल करवाने का उद्देश्य न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए समुचित कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। आदेश की प्रति सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतसर को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 07.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2024.05.13 17:42:44 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official